फाइल नं0-71-3002(002)/5/2023-03

142/2023/I/457671/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 28 दिसम्बर, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2023-24/632, दिनांक 14.11.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में डीएनबी वैस्कुलर सर्जरी के मानकों को पूरा करने हेतु अति आवश्यक एवं अतिमहत्वपूर्ण हाईब्रिड ओटी फार हाइब्रिड आपरेशन विद इन्टरवेन्शन (10 वर्ष की वारण्टी सहित) हेतु मानक मद-26-मशीनें तथा सज्जा/उपकरण और संयंत्र में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट में डीएनबी वैस्कुलर सर्जरी के मानकों को पूरा करने हेतु अति आवश्यक एवं अतिमहत्वपूर्ण हाईब्रिड ओटी फार हाइब्रिड आपरेशन विद इन्टरवेन्शन (10 वर्ष की वारण्टी सहित) हेतु प्रस्तावित उपकरणों की सूची (संलग्नक के अनुसार) को अनुमोदित करते हुए मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में शासनादेश दिनॉक 07.12.2023 द्वारा (बी0एम0 प्रपत्र में) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 2077.50 लाख (रू0 बीस करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उपकरणों की आवश्यकता/विशिष्टियां/आगणन आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान (रेट) के निदेशक की होगी।

(2) संबंधित प्रधानाचार्य द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा। बजट का संक्रमण/आवंटन, सम्बन्धित मद में बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(4) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नहीं की जाएगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(6) धनराशि को कोषागार से संस्थान/मेडिकल कालेज के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

(7) प्रश्नगत उपकरणों का क्रय पूर्व निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार किया जाएगा। जिन उपकरणों का स्पेशिफिकेशन निर्धारित नही है, सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं संस्थान के अन्य विशेषज्ञों की समिति गठित कर स्पेशिफिकेशन निर्धारित कराये जाने के उपरान्त उपकरणों का क्रय किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8) सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये एम0सी0आई0/एन0एम0सी0 के मानकों के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया के तहत उपकरण क्रय किये जायें।

(9) प्रश्नगत उपकरण की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था/वित्त नियंत्रक/निदेशक/क्रय समिति की होगी।

(10) डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।

(11) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

(12) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(13) उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

(14) उपकरण के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट /गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 20,77,50,000 (रूपये बीस करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट मानक मद 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

संलग्नक-

क्र0	उपकरण का नाम	मात्रा	अनुमानित लागत (रू0 लाख में) 10 वर्ष की वारण्टी सहित
1	Flat Panel Detector Cathlab	1	1098.00
2	Advanced 3DEcho Machine with TEE	1	175.00
3	Universal OT Table	1	50.00
4	Advance Anaesthesia Workstation	1	50.00
5	Intra Vascular Ultrasound System with IVL (Intra Vascular Leathotripsy)	1	60.00
6	Heart Lung Machine	1	200.00
7	IABP Machine	1	55.00
8	Cell Saver	1	25.00
9	Defibrillator	2	12.00
10	Diathermy Machine	2	10.50
11	Headlight with LED	2	20.00
12	Sternal Saw	1	12.00
13	OT Light with Integration	1	45.00
14	ACT Machine	1	5.00
15	Online UPS	1	30.00
16	Pressure Injector	1	30.00
17	Pendent	3	90.00
18	Micro Vascular Instrument	1-Set	60.00
19	Other small Equipments	---	50.00
		कुल धनराशि	**2077.50**

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in